

2023/146

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी नत्थूराम पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं0 45 रविदास नगर नजदीक स्कूल नं0 3 तहसील व जिला-श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ, और दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ, रसीद पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत बंद वसीयत सीलड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखवाई जावे।

प्रार्थी व गवाहान सतपाल पुत्र दौलतराम एवं साहबराम पुत्र रूडा राम की पहचान अधिवक्ता श्री रिशीपाल जोशी द्वारा की गयी।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवा कर सीलड पैकेट बंद वसीयत को सेफ कस्टडी में रखने के संबंध में आदेशार्थ प्रस्तुत है।

आदेशार्थ प्रस्तुत है।



जिला पंजीयक महोदय

